फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री देवीलाल पिता कालु सैन निवासी– सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 15 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये क्रमांकः– सूकाअ / 04 / 2024 / 36 दिनांक 27.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री देवीलाल पिता कालु सैन निवासी – सांगावास, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.) द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक सूकाअ / 04 / 2024 / 18 दिनांक 19.01. 2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 03 की सूचना अपीलार्थी में पत्रावली संख्या व वर्ष अंकित नहीं होने से वांछित सूचना तक पहुंच बनाना संभव नहीं हैं। अपीलार्थी कार्यालय दिवस में कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय हाजा देवगढ़ में उपस्थित होकर वांछित सूचना प्राप्त करे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** Bella **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)